



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

पत्रांक 975 / 280

दिनांक 7 / 06 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में धरमघर छिपछिया मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 39043 / 2019)

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS dated 15-05-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Same documents has been uploaded in the place of Wonership proof, MoU and non encumbrance at para L (iv-f,h) in form A, Part I, part I. Please rectified it.	Re-uploaded in the place of Wonership proof, MoU and non encumbrance at para L (iv-f,h) in form A, Part I.
2	Some other documents has been uploaded in the place of ownership proof at section L (iv-f) in form A, Part I. Please rectified it.	Re-uploaded in the place of ownership proof at section L (iv-f) in form A, Part I.

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 15 किमी० है।


वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर


उप-प्रभागिय वन अधिकारी
बागेश्वर


जनपद बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमे राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।


 सहायक अधीक्षक
 निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग
 कपकोट


 अधीक्षक, अभियंता
 निर्माण विभाग, खंड, लोक निर्माण विभाग
 कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, जिला नि.वि.
कपकोट


अधिसायी अभियंता
निर्माण खण्ड, जिला नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)